

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 185 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 23/08/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के ग्राम डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.948 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/149730/2021)

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक- 831/12-1(2) दिनांक- 19.08.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

o/c

कार्यालय 19 AUG 2025
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैंक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 837 / 12-2 (2) अल्मोड़ा दिनांक 19/08/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मटीला-शीतलाखेत मोटर मार्ग के ग्राम डाठ से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 0.948 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/149730/2021)

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा का पत्रांक 2578/7सी0 दिनांक 31.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	The user agency shall submit an undertaking that muck will not be dumped over forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमाण पत्र ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 51 में संलग्न है।
2	As per Dss analysis of the proposed diversion area, the area calcuation comes to 0.02 ha. instead of 0.948 ha. state Govt is required to upload the correct KML.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 सही कर पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।
3	the SIR of DFO does not contains proposal details. The SIR of DFO is required to be submitted in enclosed format.	प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर संशोधित SIR अपलोड कर हार्ड कापी संलग्न के माध्यम से पुनः प्रेषित की जा रही है।
4	Alternative alignments (three) of road along with KML fole and their comparative statements is required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है। comparative statements ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 53 में संलग्न है।
5	CA scheme with area details and KML file of CA area are require to upload on web protal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सी0 ए0 स्कीम पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।
6	Full KML fole of real (Forest and revenue) is required to be uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 सही कर पार्ट 1 के सैक्शन सी0 में अपलोड कर ली गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।